

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07082025-265281
SG-DL-E-07082025-265281

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 2025/श्रावण 16, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 166
No. 33]	DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2025/SHRAVANA 16, 1947	[N. C. T. D. No. 166

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 7 अगस्त, 2025

सं. मु.चु.अ./चु.सं./102(55)/Pt. File/2025/283.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2025

सं. 480/पी.ओ.पी./2025.— राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा;

- (क) अपनी दिनांक 07 अगस्त, 2025 की अधिसूचना सं. 480/कार्यक्रम/2025 के अनुसार उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए मतदान का स्थान कमरा सं. एफ-101, वसुधा, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली नियत करता है; और
- (ख) 10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न दोनों को सम्मिलित करते हुए तक का समय ऐसे समय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त स्थान पर मतदान होगा।

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

आदेश से

टोंगमिनथांग मिसाओ, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 7th August, 2025

No. CEO/COE/102(55)/Pt. File/2025/283.—The following is published for general information:—

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2025

No. 480/P.O.P/2025.— In pursuance of Rule 8 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission of India hereby;

- (a) fixes Room No. F-101, Vasudha, First Floor, Parliament House, New Delhi as the place of polling for the Vice-Presidential Election to be held in accordance with its Notification No.480/Programme/2025, dated the 07th August, 2025; and
- (b) specifies the hours from 10.00 a.m. to 5.00 p.m. both inclusive to be the hours during which the poll shall, if necessary, be taken at the said place of polling.

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.

By Order

TONGMINTHANG MISAO, Deputy Chief Electoral Officer, Delhi